रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230402
CG-DL-E-14102021-230402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 590] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि.732(अ).—आढ़ती विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, प्राप्तव्य समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राप्तव्य समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राप्तव्य समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में,-

(i) नियम 3 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"**3. प्राप्तव्य समनुदेशन संव्यवहार रजिस्ट्रीकरण** - (1) व्यापार प्राप्तव्य छूट प्रणाली के माध्यम से व्यापार प्राप्तव्यों के समनुदेशन के बदले में वित्तपोषण के लिए आढ़ती कारोबार करने वाले आढ़ती के अतिरिक्त समस्त आढ़ती को ऐसे समनुदेशन की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर अथवा उसकी तुष्टि तक, जो भी मामला हो, केन्द्रीय रजिस्ट्री के समक्ष निम्नलिखित विशिष्टियों को फाइल करेगा:-

(क) अपने पक्ष में प्राप्तव्यों के समनुदेशन की विशिष्टियां केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास प्ररूप-I में फाइल करेगा और ऐसे प्ररूप को उस प्रयोजन के लिए प्ररूप में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा विधिमान्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रयोग करके अधिप्रमाणित किया जाएगा;

(ख) प्राप्तव्यों की पूर्णतया वसूली होने पर प्राप्तव्यों के समनुदेशन संबंधी किसी संव्यवहार की तुष्टि की विशिष्टियां प्ररूप-II में फाइल करेगा, जिसको उस प्रयोजन के लिए प्ररूप में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा विधिमान्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रयोग करके, अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(2) यदि उप-नियम (1) में संदर्भित विशिष्टियों को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार ऐसे विलंब के कारणों का उल्लेख करते हुए दिए गए आवेदन से तुष्ट होने के उपरांत नियम 6 में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के पश्चात उसके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि जो दस दिन से अनधिक हो की अतिरिक्त समय-सीमा के भीतर उक्त विशिष्टियों को फाइल करने की अनुमति प्रदान करेंगे।";

(ii) नियम 4 का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 6 में क्रम संख्या 4 के सामने की सारणी में कॉलम (2) के अंतर्गत प्रविष्टि में "तीस" शब्द को "दस" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) प्ररूप I, में क्रम संख्या 10 के सामने "डिजिटल", शब्द को "इलेक्ट्रॉनिक" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(v) प्ररूप II, में क्रम संख्या 4 के बाद दोनों स्थानों पर "डिजिटल" शब्द को "इलेक्ट्रॉनिक" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 6/3/2010-बीओ-II]

सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम को 2 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.281(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और 21 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.469(अ) के माध्यम से तदनंतर संशोधित किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

G.S.R.732(E).—In exercise of powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 32 of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Registration of Assignment of Receivables (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012,—

(i) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: —

"**3. Registration of transactions of assignment of receivables.—**(1) Every factor other than a factor carrying on factoring business for financing against assignment of trade receivables through a Trade Receivables Discounting System shall, within a period of ten days from the date of such assignment or satisfaction thereof, as the case may be, file with the Central Registry the particulars of—

(a) assignment of receivables in his favour in Form I, which shall be authenticated using a valid electronic signature by a person specified in the said Form for the purpose;

(b) satisfaction of any assignment of receivables on full realisation of the receivables in Form II, which shall be authenticated using a valid electronic signature by a person specified in the said Form for the purpose.

(2) If the particulars referred to in sub-rule (1) are not filed within the period specified therein, the Central Registrar may, on being satisfied on an application made in this behalf stating the reasons for the delay, allow the said particulars to be filed within such additional time not exceeding ten days as he may specify, upon payment of fee as specified in rule 6.";

(ii) rule 4 shall be omitted;

(iii) in rule 6, in the Table, against serial number 4, in the entry under column (2), for the word "thirty", the word "ten" shall be substituted;

(iv) in Form I, against serial number 10, for the word "Digital", the word "Electronic" shall be substituted; and

(v) in Form II, after serial number 4, for the word "Digital" at both places, the word "Electronic" shall be substituted.

[F. No. 6/3/2010-BO.II]

SUDHIR SHYAM, Economic Adviser

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.281(E), dated the 2nd April, 2012 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 469 (E), dated the 21st May, 2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.14 15:41:52 +05'30'